

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 213/2020

तारीख रजू 26.11.2020

प्रसाद पुत्र कल्याण जाति कीर निवासी खटकड तहसील खण्डार।

— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार ।

— रेस्पोंडेंट


निर्णय

दिनांक... 23/3/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 271/2020 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खटकड के आराजी खसरा नम्बर 328 रकबा 1.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेहड पर संवत् 2077 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय पेट्रोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 328 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेहड की स्थिति के बारे में किसी प्रकार की जानकारी हासिल नहीं की गई ना मौका देखा गया, हल्का पटवारी की झूठी शिकायत को सत्य मानकर निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्त द्वारा पटवारी हल्का को मौके पर ले जाकर अपना कब्जा नहीं होने बाबत भी कहा गया था लेकिन हल्का पटवारी ने अदालत मातहत को रिपोर्ट कर गलत ढंग से नोटिस जारी कराये गये जबकि ग्राम पंचायत व गांव के किसी व्यक्ति ने आज तक अतिक्रमण होने या करने की शिकायत भी नहीं की गयी है ना ही अपीलान्त अतिक्रमण करने के लिये प्रयासरत है। अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला करने से पूर्व अपना पक्ष


अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर




रखने व पूर्ण सुनवाई का अधिकार नहीं देने तथा मौके की भौतिक सत्यापन नहीं करने से अधीनस्थ न्यायालय का फैसला निरस्त करने योग्य है। यह भी निवेदन किया है कि पश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्त के पोत्र को नोटिस तामील करायी गयी अपीलान्त बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 21.09.2020 को उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्त द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्त को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/3/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर